

वृद्धावस्था की अवधारणा : ऐतिहासिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

सहदेव सिंह¹ एवं नीतू², Ph. D.

¹(शोध छात्र) नारायण कॉलेज शिकोहाबाद(सम्बद्ध- डॉ भीमराव अ० वि०वि० आगरा)

²ऐसोसिएट प्रो० समाजशास्त्र नारायण कॉलेज शिकोहाबाद(सम्बद्ध- डॉ भीमराव अ० वि०वि० आगरा)

Paper Received On: 25 MAR 2022

Peer Reviewed On: 31 MAR 2022

Published On: 1 APR 2022



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्राचीन समय में भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था; हिन्दू सामाजिक संगठन की एक धुरी थी। व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास इस आश्रम व्यवस्था के द्वारा ही होता था। वानप्रस्थ आश्रम, वृद्धावस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। मनु के अनुसार व्यक्ति जब यह देख लें कि शरीर की त्वचा ढीली पड़ गई है; सिर के बाल सफेद हो गए हैं; सन्तान की सन्तान हो गई है तब उसे घर बार का मोह त्याग कर जंगल की ओर चला जाना चाहिए। वानप्रस्थियों के जंगल के आश्रमों को गुरुकुल कहा जाता था। जहाँ समाज के विभिन्न वर्णों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाया करते थे। इन गुरुकुलों की सारी व्यवस्था गृहस्थाश्रम पर थी। गुरुकुलों की समाप्ति के पश्चात धीरे-धीरे वृद्धों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त परिवार प्रणाली पर आ गई तथा संयुक्त परिवार को वृद्धों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाने लगा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली जीवान्त तथा जिंदा है, वहाँ यह सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। परन्तु वर्तमान समय में अनेक परिवर्तनकारी शक्तियों ने संयुक्त परिवार प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तन कर इसको एकाकी बना दिया है जिसके कारण आज वृद्ध व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा है।

पश्चिमी शिक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा व्यक्तिवादिता की भावना के कारण वृद्ध अपने को असुरक्षित व असहाय पाते हैं। भारतीय संयुक्त परिवारों में वृद्धों के आदर एवं सम्मान की परम्परा रही है लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि आज भारत में यह परम्परा तेजी के साथ टूटती जा रही है। संयुक्त परिवार के नई पीढ़ी के व्यक्तित्व को विघटित कर पुरानी तथा नयी पीढ़ी दोनों ने बहुत कुछ खोया है। समाज के परिवर्तनशील मूल्य हमारी परम्परा को नष्ट करने के साथ-साथ हमारी संस्कृति की धरोहर को भी नष्ट कर रहे हैं। आज इस आधुनिकतावादी संस्कृति ने वृद्धावस्था में व्यक्ति को पृथकीकरण की समस्या से ग्रसित कर दिया है। आज नई पीढ़ी के लोगों के पास अपने बुजुर्गों/वृद्धजनों से विचार-विमर्श करने, सलाह लेने तथा उनकी इच्छाओं तक को जानने का समय नहीं है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मनःस्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है जो अपने सारे जीवन की पूंजी को उस नई पीढ़ी के व्यक्तित्व को विघटित कर देता है। प्रायः यह कहा जाता है कि वृद्ध व्यक्ति नई पीढ़ी के साथ समायोजित नहीं कर पाते जिसके कारण उनको अनेक सामाजिक-व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि वास्तविकता कुछ और तथा कुछ भिन्न है। मेरी दृष्टि में नई पीढ़ी यदि थोड़ा आदर व सम्मान वृद्धों को दे तो यह समायोजन न करने की स्थिति पैदा ही नहीं होती। पृथकीकरण की समस्या भी इसी कारण से हमें नगरीय परिवेश की तुलना में ग्रामीण अंचलों में ज्यादा देखने को मिलती है।

वृद्धावस्था को निर्धारित करने वाले तत्व :

- उम्र/आयु
- शारीरिक स्थिति/परिवर्तन
- चिकित्सीय जाँच/अक्षम

भारत में वृद्धों की समस्या पर विचार करने के लिए सम्पूर्ण वृद्धों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वे वृद्ध, जो सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त हैं; दूसरे ऐसे वृद्ध हैं, जो जीवनभर कार्य करते रहते हैं अर्थात् ऐसे वृद्ध कभी सेवा-निवृत्त नहीं होते। वृद्धावस्था में सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक समस्याओं का

सामना करना पड़ता है। सेवानिवृत्त वृद्ध उस समय अपने को अधिक परेशान तथा असुरक्षित पाता है जबकि उनकी आर्थिक रूप से सहायता देने वाला कोई न हो। निःसंतान, अविवाहित एवं परित्यक्त व जीर्ण रोगों के कारण भी वृद्ध अपने को असुरक्षित पाते हैं। सेवानिवृत्त वृद्धों की एक प्रमुख समस्या उनके खाली समय के उपयोग की भी है। सुखी जीवन के लिए जीवन की अनवरतता तथा समुदाय के साथ अंतःक्रिया दोनों अनिवार्य हैं। इसलिए वृद्धों की सक्रियता तथा उपयोगिता की भावना को बनाए रखने के लिए समाज को उनकी दक्षता, बौद्धिकता तथा सम्पूर्ण जीवन के अनुभव रूपी ज्ञान के भण्डार से लाभ उठाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

भारतीय समाज में आश्रम-व्यवस्था समाज के नियमन एवं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एक वैज्ञानिक कार्यक्रम था। आज भी इसकी उपयोगिता कम नहीं है। परिस्थितियाँ बदली हैं इसलिए इस व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है। वानप्रस्थाश्रम व्यवस्था को नए रूप में और आधुनिक समाज की इच्छाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना होगा। वृद्धावस्था की समस्या जो कि प्रमुख रूप में सुरक्षा, स्वस्थ समायोजन व पृथकीकरण की है, के निराकरण के लिए अन्य देशों की योजनाओं के पीछे भागने की बजाय वानप्रस्थाश्रम व्यवस्था को नवीन वातावरण के अनुकूल बनाना चाहिए और इसके लिए समाज के समाज सुधारकों, प्रशासकों, उद्योगपतियों व बुद्धिजीवियों को मिलकर सोचा होगा और मनन करना होगा ताकि इसे अधिकतम सामाजिक हित की दृष्टि से आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। वास्तव में भारत के लिए वानप्रस्थाश्रम व्यवस्था नवीन परिस्थितियों में वृद्धावस्था के लिए पर्याप्त उपयोगी शक्ति हो सकती है। इस व्यवस्था से जहाँ समाज की स्वयं स्वार्थ सिद्धि होगी, वहीं वृद्धों के लिए वे परामर्श प्राप्ति के केन्द्र होंगे। अर्थात् इस व्यवस्था के द्वारा स्वार्थ एवं परमार्थ का मधुर समन्वय हो सकता है। क्यों कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि-

वृद्धावस्था मानव जीवन एक गम्भीर, जटिल एवं सार्वभौमिक समस्या है। तीव्र परिवर्तनों के वर्तमान दौर में परिवार की संरचना एवं प्रकार्यों में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप परिवार अनाथों, विधवाओं, विधुरों तथा वृद्धों की सहायता एवं सुरक्षा देने का कार्य पूर्व की भाँति नहीं कर पा रहा है। यही

कारण है कि आज वृद्धों और परिवार के बीच सफल समायोजन नहीं हो पा रहा है और वृद्धों का पारिवारिक जीवन समस्याग्रस्त हो रहा है।

वृद्धावस्था एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक स्थिति है। अतः वृद्धावस्था एवं इसकी समस्याएं इस संसार में मानव जीवन एवं सभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही अस्तित्व में रही हैं। वास्तव में वृद्धावस्था मानव जीवन की गम्भीर एवं जटिल समस्या है जो अपने पहलू में अनेकानेक समस्याएं समेटे रहती है। बेन्जामिन श्लॉस ने वृद्धावस्था की बहुमुखी समस्याओं के सम्बन्ध में लिखा है कि वृद्धावस्था एक विशिष्ट बीमारी के समान है। यह वह बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को लगती है; वह व्यक्ति जो जीवित रहता है; अन्य सब बीमारियाँ इस बीमारी को निरपवाद रूप से जकड़लेती हैं। वृद्धावस्था में शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के साथ-साथ व्यक्ति को परिवार एवं सामुदायिक समायोजन, एकाकीपन एवं अलगाव, खाली समय का सृजनात्मक उपयोग न होना तथा स्वयं एवं आश्रितों के पोषण हेतु अपर्याप्त आय आदि अनेकानेक समस्याएं उसे घेरे रहती हैं।⁵

आज की दुनियाँ में वृद्धों को फालतू वस्तु समझने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, इसलिए वृद्ध लोग वृद्धावस्था से घबराने लगे हैं। अतः साम्प्रत भारत में वृद्ध लोगों की पारिवारिक स्थिति कैसी है? तथा उनके परिवार का स्वरूप व परिवार में वृद्धावस्था के कारण उनकी सत्ता व प्रभाव में क्या-क्या अन्तर आया है? और परिवार के सदस्यों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं का स्वरूप कैसा है? प्रस्तुत शोध इसी प्रयोजन के लिए प्रेरित एक लघु प्रयास है।

परिवार, मानव समाज का सर्वाधिक प्राचीन, मौलिक, महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक संगठन है। विश्व के प्रत्येक समाज में, सामाजिक विकास के सभी युगों में, परिवार के दर्शन अवश्य होते हैं। परिवार, समाज के सभी संगठनों का केन्द्र एवं एक धुरी होता है। क्यों कि परिवार व्यक्ति की आधारभूत सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तीव्र परिवर्तनों के वर्तमान युग में परिवार की संरचना एवं प्रकार्यों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में परिवार के अन्तर्गत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परिणामस्वरूप परिवार के कार्य बड़े परिसीमित

होते जा रहे हैं। इसी सन्दर्भ में परिवार; अनाथों, विधवाओं, विधुरों एवं वृद्धों आदि की सहायता एवं सुरक्षा देने का कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज के परिवार वृद्धों के साथ सफल समायोजन करने में असमर्थ हो रहे हैं; फलतः वृद्धों का जीवन समस्याग्रस्त हो रहा है। परिवार में वृद्धों की दयनीय स्थिति को **भीष्म साहनी की कहानी** 'चीफ की दावत' सही रूप से उजागर करती है जिसमें अपनी शान में बट्टा समझकर बुढिया माँ को छिपा दिया जाता है।⁶

सुस्पष्ट है कि पहले; समाज में बुजुर्गों को जो मान- सम्मान और दर्जा हासिल था, अब वो बात धीरे-धीरे खत्म होने लगी है। एकल परिवार की बढ़ती प्राथमिकता से पारिवारिक दायरे में बुजुर्ग धीरे-धीरे उपेक्षित होते जा रहे हैं। उनकी सुख-सुविधाओं का खयाल रखना तो दूर की बात है, लोगों के लिए वे भार सरीखे लगने लगे हैं। बुजुर्गों के प्रति यह उपेक्षात्मक रवैया क्या परिवार और समाज के लिए उचित है? बुजुर्गों की उपेक्षा से उपजी त्रासदी पर एक दृष्टि : उगते सूर्य की पूजा और डूबते सूरज की उपेक्षा की परम्परा के चलते विस्तार लेती वृद्धजनों की दुनियाँ में छाए संकट के बादल के लिए कौन जिम्मेदार है? स्वयं बुजुर्ग (वृद्धजन), परिजन, समाज, सरकार, पश्चिमी प्रभाव या बदलती परिस्थितियाँ? नैतिक अवमूल्यन व मानव मूल्यों के संकट काल में जहाँ जनसामान्य को अनेक प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जीवन के अंतिम पड़ाव के लोगों का विभिन्न समस्याओं से जूझना भी स्वाभाविक है। चूँकि वृद्धों की अपेक्षा व त्रासदी जीवन को लेकर विभिन्न मंचों पर जताई जाने वाली क्षणिक चिंता के अलावा कभी गंभीर चिन्तन व सार्थक बहस की नौबत नहीं आई, इसलिए सुखद परिस्थिति की कल्पना करना अकलमंदी भी नहीं है। इसी सोच को लेकर; कि वास्तविक स्थिति क्या है? जानने की जिज्ञासा इस शोध का मौलिक उद्देश्य है।

दुनियाँ में बूढ़ों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् उन्नीस सौ निन्यानवे (1999) को 'बुजुर्गों के वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके पीछे उसका मकसद वृद्धों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान दिलाना था। यह वर्ष बूढ़ों को क्या कुछ दे पाया या दे पायेगा, यह तो समय

ही बताएगा। संसार में हर महीने करीब दस लाख लोग साठ की उम्र पार कर वृद्धजनों की भीड़ के आकार को बढ़ा रहे हैं। सन् उन्नीस सौ पचास में पूरी दुनिया में बुजुर्गों की संख्या बीस करोड़ थी। औसत आयु के निरन्तर बढ़ने तथा जन्म दर के घट जाने को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि सन् दो हजार एक (2001) तक संसार में बूढ़ों की संख्या साठ करोड़ हो जाएगी। सन् दो हजार पचीस (2025) में जब दुनिया की आबादी साठ अरब होगी तब उसमें बूढ़ों की तादात एक अरब बीस करोड़ हो जायेगी जो उस समय के बच्चों की संख्या की लगभग दो गुनी होगी। नेशनल सेम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन : 1998 का अनुमान है कि चौथाई सदी के बाद सत्तर प्रतिशत वृद्ध विकासशील देशों में रह रहे होंगे।⁷

उन्नीस सौ इक्कानवे की जनगणना के आधार पर भारत में साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या पाँच करोड़ छियासठ लाख अस्सी हजार (50668000) थी, जिनमें सर्वाधिक पिछानवे लाख, छियालीस हजार नौ सौ तैंतालीस वृद्ध (1546943) उत्तर प्रदेश में थे। बीते वर्ष (सन् 2000) के आखिर में संसद में उपलब्ध कराए गए एक सर्वेक्षण विवरण के तहत बूढ़ों की संख्या सात करोड़ तीस लाख है, जो कुल जनसंख्या का करीब सात प्रतिशत है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक सन् दो हजार एक (2001) तक बूढ़ों की संख्या करीब आठ करोड़ हो जायेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ;बृद्ध द्वारा कराया गया सर्वेक्षण कम चौकाने वाला नहीं है। बीते बीस वर्षों में साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या में तिरानवे प्रतिशत (93 प्रतिशत) तथा सत्तर वर्ष से अधिक अवस्था के नागरिकों की तादात में एक सौ एक (101 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।⁸

प्रो. जाफरी (2009) का कहना है कि वृद्धों की दयनाय स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में देश के सौ मेहनतकशों में ग्यारह (11 प्रतिशत) व्यक्ति साठ वर्ष से अधिक आयु के हैं। रोजी-रोटी की चिंता से मुक्ति न पाने वाले इस वृद्धों में पच्चीस प्रतिशत (25 प्रतिशत) लोग हृदय रोग का शिकार हो जाते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सकों का मानना है कि बूढ़ों में सभी प्रकार के मनोरोग पाए जाते हैं। तीस प्रतिशत (30 प्रतिशत) बृद्ध डिप्रेशन रोग से पीडित हैं। बूढ़ों में आर्थिक, पारिवारिक,

सामाजिक तथा भावनात्मक चिन्ताएं बढ़ने से वे अपने को न केवल उपेक्षित महसूस करने लगे हैं अपितु भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य तथा आश्रय जैसी सामाजिक मूलभूत समस्याओं के कारण आज जिन्दगी के प्रति उनका मोह भी भंग होता जा रहा है।

अनुसंधित्सु के सोच से शायद कह कहना गलत न होगा कि संयुक्त परिवार के विघटन का सर्वाधिक खामियाजा इन वृद्धों को ही उठाना पड रहा है। जीवन के अन्तिम छोर पर जहाँ इन्हें पारिवारिक स्नेह और सेवाटहल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है; वहीं इनकी पीडा में रोज-ब-रोज इजाफा ही हुआ है; तथा होता जा रहा है। एकल परिवारों के अस्तित्व में आने तथा परिवार का दायरा पति, पत्नी व बच्चों तक ही सीमित हो जाने के कारण “वृद्ध समाज” पारिवारिक परिदृश्य से लगभग ओझल हो गया है। बूढ़ों की स्थिति अंगुली के पके नाखून की तरह; जिन्हें बेरहम काटकर फेंक दिया जाता है। पहले संयुक्त परिवार में घर के वृद्ध या वृद्धा का परिजनों पर रौब-दौब होता था। उनकी डांट व प्रेम का भी अर्थ होता था। उन्हें कभी बुजुर्गियत का दायित्व निभाना होता था, तो कभी बच्चों के संग बच्चा बनकर प्रेम सुधा बरसाने की जिम्मेदारी को पूरा करना पडता था। वृद्धा को अपने घर में ही नहीं मोहल्ले-पडौस में भी सम्मान किया जाता था, किस्मत वालों को ही बुजुर्गों की छत्रछाया मिल पाती है, किन्तु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत, भिन्न व शोचनीय है।

पाश्चात्य सभ्यता के भौतिकतावादी बढते प्रभाव से परिवार टूट रहे हैं। मनुष्य हवेली में अपने ही द्वारा खड़ी की गई दीवारों के जाल में फँसकर रह गया है। रात-दिन में पूर्व की भाँति वही चौबीस घंटे होते हैं, पर आज किसी के पास समय नहीं है। घर में तीन पीढी के लोग रहते हैं किन्तु एक दूसरे से अनजान। पति दफ्तर आने-जाने के कारण थक कर शीघ्र सो जाते हैं। बच्चों का अधिकांश समय स्कूल व होमवर्क में गुजर जाता है, पत्नी पाकशाला व गृह कार्य या फिर नौकरी आदि में उलझी रहती हैं। प्रत्येक सदस्य की अपनी अलग दुनिया में मन होने के कारण ‘बूढ़े’ घर में रहते हुए भी उपेक्षित हैं। क्या वे केवल दो समय का भोजन, वस्त्र और सिर छिपाने के लिए चारपाई भर स्थान के मोहताज बनकर रह गए हैं? नई पीढी को अपने कार्यों में पुरानी पीढी का दखल तो दूर; सलाह लेना तक स्वीकार्य नहीं है।

घर में वृद्ध पति-पत्नी हालात से समझौता कर किसी-न-किसी प्रकार समय काटते रहते हैं, किन्तु बुजुर्ग जोड़ी के टूट जाने पर अपनों की उपेक्षा का दंश उन्हें जीते जी मार डालता है। निराश्रित बूढ़ों की दीनहीन दशा व उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर शासन द्वारा विधवा और वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत एक सौ पचीस रुपये मासिक सहायता देने का प्रावधान है। करीब चार रुपये दैनिक की दर से देय यह धनराशि जहां अपर्याप्त है, वहीं हर महीने इसका भुगतान भी नहीं किया जाता। योजना का राजनैतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से पूरे वर्ष की पेंशन एक हजार पांच सौ रुपये का चेक किसी न किसी समारोह में देने का मंसूबा बनाया जाता है, जिससे अशक्त, विकलांग, अंधे व अत्यधिक वृद्धों को समारोह तक आने-जाने में काफी असुविधा का सामना तो करना ही पड़ता है, कभी-कभी अपात्र व्यक्ति चेक प्राप्त कर उसका दुरुपयोग भी कर लेता है।

अपने ही लोगों में अजनबी और उपेक्षित बन गए वृद्धों की सुध लेते हुए वाजपेयी सरकार ने जिस “राष्ट्रीय नीति” (1999) को स्वीकृति दी है, उसके तहत बूढ़ों की वित्तीय, स्वास्थ्य, आश्रय, कल्याण व अन्य जरूरतों को पूरा कर उनका जीवन सुखमय बनाने का निर्णय लिया गया है बूढ़ों के पारिवारिक, सामाजिक व भावनात्मक उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रयास यह भी रहेगा कि वृद्ध किसी भी दशा में अपने को अकेला, हीन और असहाय न समझें। बूढ़ों की इच्छा का ध्यान रखते हुए उनकी प्रतिभा का सदुपयोग करने के अलावा उन्हें रचनात्मक, सृजनात्मक, अपेक्षित, शान्तिपूर्ण व संतोषप्रद जीवन जीने के अवसर मुहैया कराने तथा सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय मदद लेने की योजना के सुखद परिणाम की आशा की जानी चाहिए। देश, समाज व परिवार के लिए उनका सक्रिय योगदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विशिष्ट व्यक्ति, आदर्श परिवार, जागरूक समुदाय व समाजसेवी संस्थाएं न केवल उनका मार्ग प्रशस्त करें, अपितु उनकी हर सम्भव सहायता भी करें।

उल्लेखनीय है कि वृद्ध समाज का पचहत्तर प्रतिशत (75 प्रतिशत) भाग गांवों में रहता है इसलिए वहां बूढ़ों की दिक्कतें भी कम नहीं हैं। सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण अंचलों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। दैनिक उपभोग

की वस्तुओं, दवा, वस्त्र तथा यातायात में कर मुक्ति से वृद्धों को काफी लाभ हो सकेगा। आवास हेतु मामूली व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा बूढ़ों को अपने साथ रखने वाले परिवारों को इनकम टैक्स में छूट देने जैसी रियायतों से कई समस्याओं का निदान सम्भव है। परिवार के सदस्यों में भावनात्मक लगाव को फिर से स्थापित करने के लिए समाज सेवा से जुड़े लोगों को अनुकरणीय पहल भी करनी होगी। हमारी भारत सरकार ने आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक व भावनात्मक असुरक्षा के दलदल में फंसे वृद्धजनों के लिए घोषित राष्ट्रीय नीति में उनके हितों का ध्यान रखकर जो अपनत्व दिखाया है, वह अपनों के द्वारा दिए गए घावों पर मरहम रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है। सच्चाई यह भी है कि सरकार व जन सेवी संस्थान बूढ़ों की सुरक्षा, सेवा तथा समाज में उनका स्थान सुनिश्चित करने के लिए कितना ही कुछ क्यों न कर लें, किन्तु ईमानदाराना प्रयास, पारिवारिक स्नेह तथा आत्मसम्मान की बहाली के बिना उनकी सन्तुष्टि सम्भव नहीं है।⁹

“.....कल तक वे भी ऑफिस जाने के लिए सुबह जल्दी-जल्दी तैयार होते थे। उन्हें घर का ढेर सारा काम निबटाना होता था। वे दोस्तों- पड़ोसियों के साथ लंबी गप्पे हांका करते थे, उन्हें लगता था कि उनके आस-पास सारा कुछ ज्यों का त्यों बना रहेगा, आजीवन। अपने आस-पास की दुनिया का केन्द्र वे बने रहेंगे हमेशा-हमेशा के लिए। पर ऐसा भला होता कहाँ है? समय का पहिया कभी नहीं रुकता और देखते ही देखते इनकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। आज अपनी ही रचाई-बसाई दुनिया में उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। बेटा-बेटी-बहू को अपने से ही फुरसत नहीं है। हरेक की अपनी व्यस्तताएं हैं। पोते-पोतियां जब दादाजी, दादीजी और नाना-नानी कहते, उनके आस-पास हंसते- खिलखिलाते धमाचौकड़ी मचाते हैं, तब जाकर कहीं उनमें जीवन का संचार हो पाता है। पीछे छूटे तमाम वर्ष और घटनाएं सहसा अपनी याद दिला जाती हैं।”- अनुसंधित्यु

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 बड़े बूढ़ों के वर्ष के रूप में मनाया गया है। सरकार ने बुजुर्गों के लिए कई तरह की रियायतों की घोषणा कर रखी है। आयकर में दस हजार रुपये तक की छूट दी गई है, रेल किराया उन्हें अब कम देना होगा। हवाई यात्राओं पर भी रियायत मिलेगी। पर सवाल यह है कि

हमारे बुजुर्गों में से कितने लोग इतना कमाते हैं कि उन्हें आयकर में छूट और हवाई यात्रा के लिए रियायत चाहिए? और फिर क्या इतना कुछ कर देने भर से ही उन्हें अपेक्षित प्रतिष्ठा और सुविधाएं मिल जायेंगी? लिहाजा, कहा जा सकता है कि सरकारी घोषणाएं सहज प्रतीकात्मक हैं और उनका प्रभाव सीमित ही रहेगा। बुजुर्गों की दशा-दिशा में इससे क्रांतिकारी बदलावों की सोच की उम्मीद फिजूल ही है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

1. वन्दना रानी ; वृद्धों की स्थिति-अतीत से वर्तमान तक, प्रकाशित शोध-पत्र "सामाजिक सहयोग" राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध-पत्रिका, श्रीकृष्ण शोध एवं शिक्षण संस्थान, उज्जैन (म०प्र०), वर्ष 2, अंक-8, 1987
2. कौर कुलदीप ; शरीर-विज्ञान : सक्षम व अक्षम वृद्धजन, साहित्य भवन प्रकाशन (हॉस्पिटल रोड), आगरा (उ.प्र.), 1997, पृष्ठांकन-371
3. सिंह शम्भूनाथ ; वृद्धावस्था प्रमुख समस्या के रूप में एक अभिशाप "समाज कल्याण" केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण भवन, नई दिल्ली, जनवरी, 1978, पृष्ठ 42-47
4. सिंह एस० डी० ; वृद्धजन - सेवानिवृत्त एवं साधारण- एक समाज वैज्ञानिक विश्लेषण "जन सहयोग" समाजशास्त्रीय शोध पत्रिका, पटना यूनिवर्सिटी, पटना (बिहार), 1995 पृष्ठ 7-10
5. रानी वी० के० ; "वृद्धों की पारिवारिक स्थिति"- राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा (सामाजिक विज्ञानों की शोध-पत्रिका) वर्ष-1 अंक-1, जनवरी-जून 1996, पृष्ठ 67-68, समाज विज्ञान विकास संस्थान चान्दपुर, बिजनौर (उ०प्र.)
6. जाफरी एम०ए० ; "भार नहीं प्रतिष्ठा के हकदार हैं बुजुर्ग"- प्रकाशित लेख दैनिक समाचार-पत्र : अमर उजाला, 12 मार्च 1999 पृष्ठ-10
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिकोहाबाद द्वारा प्रायोजित "वृद्धजन सम्मान समारोह" अक्टूबर 1, 2000; प्रकाशित : दैनिक जागरण समाचार-पत्र, पृष्ठ-12
8. सिलाबट एस० एस० ; वृद्धावस्था की समस्याएं ; प्रकाशित शोध-पत्र: "सामाजिक सहयोग"- श्री कृष्ण शिक्षण एवं शोध

संस्थान उज्जैन (म.प्र.) राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका,
वर्ष 4 अंक-14, 1995 पृष्ठ-11

9. इन्स्टीट्यूट ऑफ सोसल वर्क, दिल्ली प्रतिवेदन-2000, पृष्ठ 123
10. वर्मा परिपूर्णानन्द ; वृद्धावस्था; एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन, समाज कल्याण, जनवरी अंक 1980, पृष्ठ 30
11. राष्ट्रीय शोध संस्थान, न्यूजर्सी-प्रतिवेदन, 1981
12. रॉबर्ट काटजन, द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओल्ड एण्ड न्यू न्यूजर्सी प्रेस, न्यूजर्सी, 1987, पृष्ठ 205
13. विश्व स्वास्थ्य संगठन (प्रतिवेदन)- 1982
14. विश्व स्वास्थ्य संगठन (प्रतिवेदन)- 1999
15. सिंह भगत ; वृद्धावस्था की समस्याएं : एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन, पी-एच.डी. (अप्रकाशित) शोध प्रबन्ध, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, 2003, पृ. 24